कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: परिपत्र ::

राज्य की शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों द्वारा शिक्षण संस्था में आने व जाने हेतु परिवहन के निजी साधनों के अतिरिक्त बहु संख्या में शिक्षण संस्था के स्वयं के वाहनों तथा सार्वजनिक सेवा वाहनों का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी बड़ी संख्या में संविदा अनुज्ञा–पत्र धारी तथा सिटी स्टेज कैरिज अनुज्ञा–पत्र धारी वाहन छात्र–छात्राओं को लाने व ले जाने हेतु **"बाल वाहिनी योजना"** शासनादेश दिनांक : 21.07.1998 द्वारा पूर्व से लागू है। उक्त योजना के स्वरूप को और अधिक विस्तृत कर योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक : 28.11.2007 द्वारा विस्तृत निर्देश प्रदान किए गए थे। विद्यालयों में आवागमन के दौरान दिन–प्रतिदिन स्कूली छात्र–छात्राओं के दुर्घटनाग्रस्त होने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर पूर्ववर्ती आदेशों–निर्देशों के अनुवर्तन में विभिन्न स्तरों पर बरती जाने वाली सावधानियों तथा सुरक्षात्मक उपायों को पुख्ता किए जाने हेतु एतद् द्वारा निर्देश प्रदान किए जाते हैं :–

(अ) उपयोग में लिए जाने वाले वाहन के सम्बन्ध में :–

जो भी वाहन (बस, मिनी बस, वैन, ऑटो एवं रिक्शा) बाल–वाहिनी के रूप में उपयोग में लाया जाए, वह वाहन पीले रंग से रंगा हो, ताकि दूर से ही देखकर यह पहचाना जा सके कि वह वाहन बाल–वाहिनी के रूप में उपयोग में आ रहा है। बाल–वाहिनी के ऊपर स्पष्ट रूप से यह अंकित हो कि वह वाहन बाल–वाहिनी के रूप में परिवहन कर रहा है, यथा बाल–वाहिनी पर "On School Duty" अंकित किया जा सकता है। बाल–वाहिनी के पीछे वाले हिस्से पर सम्बन्धित विद्यालय का नाम, दूरभाष नम्बर, पता एवं वाहन चालक तथा परिचालक का नाम अंकित होना चाहिए। बाल–वाहिनी पर क्षैतिज रूप से लोहे का पाईप लगा होना चाहिए तथा ऑटो/वैन/मैजिक में दरवाजों पर लॉक होना चाहिए तथा ऑटो के ड्राईवर वाली साईड व पीछे ऐसी ग्रिल होनी चाहिए, जिससे कोई बालक गिर न सके। इसी प्रकार बाल–वाहिनी के सम्बन्ध में अग्रांकित बिन्दुओं की पालना भी विद्यालय प्रशासन द्वारा समुचित रूप से करवाई जानी चाहिए :–

1. **रख–रखाव** – बाल वाहिनी की समय–समय पर मरम्मत व रख–रखाव आवश्यक है। वाहन में इंजन ऑयल, ब्रेक ऑयल, ब्रेक, पैडल, टायर,स्टेयरिंग, वाहिनी के शीशों आदि की देखभाल समय–समय पर करनी चाहिये।
2. **पंजीकरण** – बाल वाहिनी का पंजीयन परिवहन कार्यालय में करवाया जाना आवश्यक है। पंजीयन के पश्चात् ही वाहन को उपयोग में लावें। किसी भी बाल–वाहिनी का सड़क पर परिचालन तभी होगा, जब उस वाहन को बाल–वाहिनी के रूप में परिवहन विभाग में पंजीकृत करवा लिया गया हो।
3. **प्रदूषण मुक्ति प्रमाण–पत्र (PUC)** – वाहिनी की आवेत जाँच करवाकर प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण–पत्र (PUC) का टेग लगवाना चाहिये व समय–समय पर इसकी पुनः जाँच करवानी चाहिये।
4. **नीची सीढ़ियाँ/फर्श (Low Floor)** – बाल वाहिनी की सीढ़ीयां, जिनका उपयोग बालकों द्वारा किया जाता है, उनकी जमीन से ऊँचाई कम हो, जिससे छोटे–छोटे बालकों को चढ़ने उतरने में असुविधा न हो।
5. **प्राथमिक उपचार पेटी** – बाल वाहिनी में प्राथमिक उपचार पेटी (FIRST AID BOX) हो तथा उसमें आवश्यक सामग्री की समय – समय पर जाँच की जानी चाहिये।
6. **पीने का पानी (स्वच्छ जल प्रबन्ध)** – बालक–बालिकाओं के पेय जल हेतु वाहिनी में स्वच्छ जल का समुचित प्रबन्ध होना चाहिये।

www.rajteachers.com

कार्यालय का पता :– निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर ☎0151–2544043
Email : ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in

7. **रोशनी व हवा** – बाल वाहिनी में रोशनी व हवा का उचित प्रबन्ध होना चाहिये, जिससे बालक सहज महसूस करे तथा यात्रा आरामदायक हो। खिड़कियों के शीशों पर किसी प्रकार की कोई फिल्म चढी हुई नहीं होनी चाहिए, जिसके फलस्वरूप सड़क से ही बाल–वाहिनी के अन्दर की स्थिति दिख सके।
8. **आपातकालीन दरवाजा** – वाहिनी में अपातकालीन दरवाजा होना आवश्यक है, जिससे आपात स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। यह अत्यावश्यक है कि समय–समय पर उसकी उचित जाँच की जाती रहे। ऐसा न हो कि आवश्यकता के समय व वह खुले ही नहीं। सड़क पर संचालन के समय वाहिनी का मुख्य गेट आवश्यक रूप से बन्द रखा जाना चाहिए।
9. **उचित बैठक व्यवस्था** – बाल वाहिनी में बालकों के बैठने की उचित व्यवस्था होनी चाहिये। बालको की आयु वर्ग व संख्या के अनुसार उसमें बैठक व्यवस्था होनी चाहिये। वाहन की स्वीकृत बैठक क्षमता से डेढ गुना से अधिक संख्या में किसी भी स्थिति में बालकों को नहीं बैठाया जाए, किन्तु यदि 12 वर्ष से अधिक आयु का बालक है, तो उसकी गणना एक पूरी सीट के लिए की जाए।
10. **सहायक की व्यवस्था** – बाल वाहिनी में चालक के साथ ही सहायक (परिचालक) का होना आवश्यक है, क्योंकि बालकों को व्यवस्थित रूप से चढ़ाने व उतारने का कार्य अत्यन्त महत्वपूर्ण है। जरा सी भी असावधानी होने पर दुर्घटना की सम्भावना रहती है तथा अकेला चालक सभी कार्य सम्पादित नही कर पाता है, अतः एक जिम्मेदार सहायक आवश्यक है साथ ही यह स्कूल प्रशासन का दायित्व है कि उस बाल–वाहिनी से बच्चों के उतरने एवं चढने के लिए अपने विद्यालय परिसर में एक निश्चित स्थान प्रदान करें तथा किसी भी स्थिति में बच्चों को बाल–वाहिनी से उतरने व चढने के लिए सड़क पर ही न छोड़ा जाए।
11. **अग्निशमन यंत्र** – आकस्मिक दुर्घटना अथवा किसी कारणवश वाहिनी में आग लगने पर अग्निशमन यंत्र का उपयोग कर आग पर काबू पाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि यंत्र की समय–समय पर जाँच की जाए व अवधि पार होने पर नियमित रूप से रिफिल करवाया जाए तथा साथ ही साथ उसकी कार्य प्रणाली की जानकारी चालक, सहायक व विद्यार्थियों को भी हो।
12. वाहन का रजिस्ट्रेशन नम्बर तथा चालक/परिचालक के मोबाईल नम्बर प्रत्येक अभिभावक को उपलब्ध करवाया जाएगा।
13. वाहन द्वारा घर से बच्चों को ले जाने व वापिस पहुंचाने का समय निर्धारित हो तथा अभिभावकों को बताया जाए। विलम्ब की स्थिति में अभिभावकों को सूचित करने की व्यवस्था हो।
14. वाहन चालक के पास वाहन से आने–जाने वाले विद्यार्थियों की सूची तथा उनके अभिभावकों के मोबाईल नम्बर हो, जिससे कि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में आवश्यक कदम उठाये जा सके।
15. दैनिक रिपोर्ट :– संस्था प्रधान प्रतिदिन चालक से विद्यार्थियों को घर तक सकुशल पहुचाने की रिपोर्ट प्राप्त करें।
16. चालक के आचरण तथा व्यवहार पर नजर :– शाला प्रशासन निरन्तर जागरूक रहे तथा वाहन चालक के आचरण तथा विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार पर पैनी नजर रखे।
17. बाल–वाहिनी की स्पीड अधिकतम 40 किलोमीटर प्रति घंटे के होनी चाहिए, जिसके लिए चालक को सख्ती से पाबन्द किया जाना चाहिए।
18. बाल–वाहिनी में आवश्यक रूप से जी.पी.एस. (GPS) लगा हुआ हो तथा चालू स्थिति में हो।
19. शीतकालीन समय में ओस की समस्या से बचाव हेतु वाहिनी पर फोग लैम्प जैसी समुचित एवं वैकल्पिक व्यवस्था आवश्यक रूप से की जानी चाहिए।
20. बाल–वाहिनी का फिटनेस परीक्षण निर्धारित समयावधि में करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

www.rajteachers.com

21. विशेष योग्यजन बालकों के चढने–उतरने के लिए समुचित व्यवस्था हो तथा बाल–वाहिनी में उनके बैठने के लिए एक निश्चित स्थान आरक्षित किया जाए।

(ब)चालक के सम्बन्ध में :–

1 प्रशिक्षित एवं सुयोग्य वाहन चालक – सड़क पर बाल–वाहिनी के संचालन हेत वाहन चालक की नियुक्ति के लिए आवश्यक है कि :–

- चालक के पास भारी वाहन चलाने का 05 वर्षीय अनुभव हो।
- यदि चालक के विरूद्ध लाल बत्ती को क्रोस करने के सम्बन्ध में/गलत जगह पर पार्किंग के सम्बन्ध में/स्टॉप लाईन का उल्लंघन करने में/वाहन को चलाने की लेन का उल्लंघन करने में/वाहन को चलाते समय ओवरटेक करने के लिए या अप्राधिकृत व्यक्ति को चलाने के सम्बन्ध में दो से अधिक बार कोई चलान एक ही साल में पेश हो चुका है तो उसे चालक के रूप में बाल–वाहिनी चलाने की अनुमति नहीं दी जाए।
- यदि किसी चालक के विरूद्ध तेज गति से वाहन चलाने/नशे में वाहन चलाने/उपेक्षापूर्ण तरीके से वाहन चलाने या अन्तर्गत धारा–279, 336, 337, 338 व 304 'ए', भारतीय दण्ड संहिता–1860 के तहत एक बार चलान पेश हो चुका है या आरोप लग चुका है, तो इस स्थिति में उसे चालक के रूप में बाल–वाहिनी चलाने की अनुमति नहीं दी जाए।

विद्यालय प्रशासन द्वारा प्रत्येक बाल–वाहिनी के चालक के सम्बन्ध में उपर्युक्तानुसार तहकीकात के पश्चात ही वाहिनी संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जानी चाहिए।

2 **स्वस्थ चालक** – चालक पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए, ऑखों की दृष्टि सही हो, कानों की श्रवण शक्ति पर्याप्त हो। शरीर से वाहन चलाने योग्य होना चाहिए। यद्यपि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने पर तथा नियमानुसार ऑनलाईन व प्रायोगिक परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात् ही परिवहन कार्यालय द्वारा लाईसेन्स जारी किया जाता है, परन्तु फिर भी विद्यालय प्रशासन द्वारा स्वयं के स्तर से चालक के स्वास्थ्य व वाहन चालन क्षमता की जाँच की जानी उचित रहेगी ।

3 **यातायात नियमों की जानकारी** – चालक यातायात संबंधी नियमों का जानकार हो तथा साथ ही वाहन सम्बन्धी आवश्यक जानकारी हो। चालक के लिए यह आवश्यक है कि बाल–वाहिनी को सड़क पर द्वितीय या तृतीय लेन में निर्धारित गति से एवं बिना मोबाईल बातचीत के, बिना म्यूजिक संचालन के एवं बिना धूम्रपान सेवन के चलाये।

4 **व्यावहारिक प्रवृत्ति** – चालक का मृदुभाषी, दयालु व मददगार प्रवृत्ति का होना वांछित है, ताकि बालकों से उसका व्यवहार शालीन हो व बालकों को लाने व ले जाने का कार्य जिम्मेदारी से करे तथा उन्हें उचित/नियत स्थान पर ही उतारे। बच्चों के साथ अनुशासन बनाये रखे ।

5 **व्यसन मुक्त** – चालक बाल वाहिनी का चालक है, अतः उसकी यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने आप को सभी प्रकार के व्यसन से मुक्त रखे। बालकों के बीच एक आदर्श व सुसभ्य चालक बने, अभिभावक व विद्यालय प्रशासन, दोनों का विश्वास बनाये रखे ।

6 **धैर्यवान** – आकस्मिक दुर्घटना होने पर या किसी विकट परिस्थिति में चालक को धैर्य से काम लेना चाहिए। सहायक व बच्चों का मनोबल बनाये रखना चाहिए ।

7 **आवश्यक मोबाईल नम्बर** – चालक को आवश्यक मोबाईल नम्बर यथा निकटवर्ती पुलिस थाना, अस्पताल, स्थानीय निकाय, विद्यालय कार्यालय, बाल–वाहिनी से सम्बन्धित मोटर गैराज इत्यादि अपने पास रखने चाहिए, जिससे आवश्यकता होने पर सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जा सकें।

www.rajteachers.com

(स)सहायक के सम्बन्ध में :–

1. **पूर्णतः स्वस्थ** :– सहायक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, जिससे वह अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह कर सके, आँखों की दृष्टि सही हो, कानों की श्रवण शक्ति उचित हो व शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम हो।
2. **व्यवहार कुशल** – सहायक मृदुभाषी हो , व्यवहार कुशल हो, बालकों के साथ मित्रवत व्यवहार करे व संयम से काम ले। उसका व्यवहार शालीन हो ।
3. **सहायक व चालक में तालमेल** – सहायक व चालक में आपसी तालमेल हो। चालक सहायक के संकेतों को समझ सके तथा सहायक चालक के संकेतों को समझ कर कार्य करे। वाहिनी को नियत स्थान पर रूकवाना, बालकों को व्यवस्थित रूप से बैठाना व उतारते समय सावधानी पूर्वक उतारना तथा इस बात का अत्यधिक ध्यान रखना कि बालक वाहिनी से उतरने के पश्चात् वाहिनी के आगे या पीछे खडा तो नही है। अमूमन बालक ऐसा कर सकते हैं, साथ ही छोटे बालक होने से चालक को बस के नजदीक व ठीक सामने या पीछे खड़े बालक दिखाई नहीं देते हैं, ऐसी स्थिति में सहायक को बस से उतर कर आगे – पीछे देखने के बाद ही चालक को चलने का संकेत करना चाहिए।
4. **व्यवस्थित बैठक व्यवस्था** – छोटे बालकों को उचित स्थान पर बैठाना, समझदार व बड़े बच्चों को खिडकियों के पास बैठाना तथा छोटों को मध्य में रखना, दरवाजे के सामने या नजदीक छोटे बालकों को नहीं बैठाना आदि का विशेष ध्यान रखना ।
5. **बालकों को चढ़ाना व उतारना** – बस रूकने पर सभी बालकों को जल्दी से वाहिनी में चढ़ने की ललक रहती है, उन्हें शान्तिपूर्वक धीरे–धीरे चढ़ाना, छोटे बालकों को स्वयं ऊपर चढ़ाना या उनकी मदद करना, भारी भरकम बस्तों को व्यवस्थित रखना व उतरते समय उन्हें देना आदि बातों का ध्याना रखना ।
6. **बालकों की निजी वस्तुओं का ध्यान रखना** –वाहिनी में बालकों की पाठ्य पुस्तकें अथवा सहायक सामग्री, टिफिन, पानी की बोतल आदि अक्सर वाहिनी में ही रह जाती है, उसे सम्भाल कर रखना और पुनः लौटाना ।
7. **वाहन में स्वच्छता** – वाहिनी को प्रतिदिन साफ करना, वाहिनी के शीशों से धूल–मिट्टी साफ करना, चालक के सामने का शीशा साफ करना, साईड मिरर को साफ रखना, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
8. **धैर्यवान** – आकस्मिक दुर्घटना के समय धैर्य से काम ले, चालक की सहायता करे, चोट ग्रस्त बालकों की प्राथमिक चिकित्सा तत्काल करे, उनका मनोबल बनाये रखे तथा आवश्यकतानुसार चिकित्सा सुविधा अविलम्ब उपलब्ध करवावे।
9. **आवश्यक सम्पर्क नम्बर** – आवश्यक मोबाइल व सम्पर्क नम्बर अपने पास हमेशा रखे, जिससे आवश्यकतानुसार सूचनाओं का आदान – प्रदान किया जा सकें।

(द) अभिभावकों के सम्बन्ध में :–

1 **समय पर नियत स्थान पर बालकों को ले जाना** – अभिभावक बालकों को समय पर नियत स्थान पर ले जाये, जिससे कि सभी विद्यार्थियों को समय पर विद्यालय पहुँचाया जा सके। किसी एक बालक के भी समय पर नहीं पहुँचने से वाहिनी में सवार समस्त विद्यार्थी विलम्ब से पहुँचते है।

2 **नियत स्थान पर खड़े रहना** – वाहिनी के रूकने के नियत स्थान पर ही सभी विद्यार्थी पंक्तिबद्ध खड़े रहें तथा वाहिनी के रूकने के स्थान पर उचित दूरी रखें। वाहिनी के पूर्णतः रूकने के पश्चात् ही बालकों से चढ़ने के लिए कहें।

3 **उचित दिशा–निर्देश** :– अभिभावकों को चाहिए कि बालकों को समझाए की यात्रा के दौरान सीट पर शान्ति से बैठे रहें। उछल–कूद न करें, अनावश्यक गन्दगी न फैलावें, शोर न करें, खिड़की से शरीर का कोई अंग बाहर न निकालें, शान्ति पूर्वक वाहिनी में चढ़े–बैठे व उतरें। वाहिनी के आगे पीछे ना रूके ना खड़े रहें।

www.rajteachers.com

4 नियत समय पर बालकों को लाना व ले जाना।

5 आवश्यक सम्पर्क नम्बर रखना,जिससे सूचनाओं का आदान–प्रदान हो सके।

(य) विद्यार्थियों के सम्बन्ध में :–

1 बाल वाहिनी के ठहरने के स्थान पर समय पर पहुँचना, जिससे अन्य विद्यार्थियों को विलम्ब ना हो।

2 **वाहिनी में चढ़ना–उतरना** – वाहिनी के नियत स्थान पर पूर्णतया रूकने के पश्चात् ही सावधानी पूर्वक चढ़ना व उतरना चाहिए। वाहिनी के आगे या पीछे खड़े नहीं रहना चाहिए, ना ही कोई शरारत करनी चाहिए। वाहिनी से उतरने के पश्चात् एक बार पहले सीधे घर जाएं, रास्ते में कहीं रूके नहीं, अन्यथा अभिभावकों को अनावश्यक पेरशानी होती है।

3 **यात्रा के दौरान अनुशासन बनाए रखें** – छोटे बालकों को व्यवस्थित सीट पर बैठा देवें। अनावश्यक इधर–उधर ना निकलें। अनावश्यक रूप से शोर ना करें।

4 **चालक व सहायक से व्यवहार** –चालक और सहायक से सभ्यता से व्यवहार करें। अपने सहपाठियों से मित्रता पूर्वक व्यवहार करें। छोटे बालकों को चढ़ने उतरने में मदद करें, पहले उन्हें बैठने देवें, फिर खाली रही सीटों पर बैठे।

5 **चालक व सहायक का ध्यान नहीं बटावें** – अपनी शरारत या शोर से चालक या सहायक का ध्यान नहीं बटावें, ऐसा करने से दुर्घटना होने की सम्भावना रहती है, जिससे आप स्वयं तथा वाहिनी में सवार सभी बालकों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। यदि आप किसी बालक को ऐसा करते हुए देखें, तो तुरन्त उसे रोकें व समझावें कि ऐसा न करें।

6 दुर्घटना या विकट स्थिति में अनावश्यक शोर ना करें, ना ही रोने लगे, बल्कि एक होनहार विद्यार्थी की तरह दूसरे विद्यार्थियों कि मदद करें, प्राथमिक उपचार करें, चालक और सहायक की मदद करें तथा अपने सहपाठियों का मनोबल व हौंसला बढ़ावें ।

(र) विद्यालय प्रशासन के सम्बन्ध में :–

1 **बाल वाहिनी का संचालन** – बालवाहिनी का नियमानुसार व्यवस्थित संचालन करें, जिससे विद्यार्थियों को समय पर विद्यालय पहुँचने में सहायता मिले।

2 **रूट** – वाहिनी का संचालन उचित रूट के अनुसार रखा जाए, जिससे विद्यार्थियों का समय कम से कम लगे।

3 **संख्या** – विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार ही वाहिनियां रखी जाए , जिससे सभी विद्यार्थियों हेतु उचित बैठक व्यवस्था रहें, निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को किसी भी स्थिति में ना बैठाया जाए। निर्धारित संख्या से अधिक संख्या में विद्यार्थियों को वाहन में बैठाया जाना अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनता है।

4 **मॉडल** – बाल–वाहिनी जहां तक हो सके, नवीन मॉडल और अच्छी कण्डीशन की हो।

5 **रख–रखाव** – समय–समय पर वाहिनी की उचित देखभाल व रख–रखाव करावें।

6 **प्रशिक्षित चालक** – वाहन चालक प्रशिक्षित व नियमों का जानकार हो तथा लाइसेन्स धारी हो।

7 **सहायक** – सहायक शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ व सक्षम होना चाहिए।

8 **फीड बैक** – चालक व सहायक के बारे में विद्यालय प्रशासन को समय–समय पर बालकों, अध्यापकों तथा अभिभावकों से जानकारी लेते रहना चाहिए। बालकों के साथ उनका व्यवहार कैसा है, समय की पाबन्दी कैसी है, वाहन निर्धारित गति सीमा में सावधानी पूर्वक चलाता है इत्यादि मानदण्डों पर चालक व सहायक के बारे में निरन्तर पूछताछ करते रहने से अवांछित घटनाओं व दुर्घटनाओं से मानवीय सामर्थ्य की सीमा तक बचा जा सकता है।

www.rajteachers.com

समस्त सम्बन्धितों द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े हुए उपर्युक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सर्वोच्च प्राथमिकता से सम्पादित की जाए।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा--माध्य/मा--स/बाल वाहिनी योजना/22478/2007-17/57 दिनांक 17-11.2017
प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :--

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-6) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक : प.24 (20) शिक्षा-6/2016, जयपुर, दिनांक : 26.10.17 के क्रम में सूचनार्थ।
3. समस्त जिला कलक्टर गण को प्रेषित कर निवेदन है कि उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में जिला परिक्षेत्र में सम्बन्धित विभागों के मध्य पारस्परिक सहयोग एवं समन्वय द्वारा विद्यालयों में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की सुरक्षा व्यवस्था बाबत समुचित उपाय/प्रयास सुनिश्चित किये जाने का श्रम करावें।
4. समस्त पुलिस अधीक्षक गण को क्षेत्राधिकार में आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त जिला परिवहन अधिकारी गण को बाल-वाहिनी संचालन सम्बन्धी प्रावधानों की समुचित क्रियान्विति विद्यार्थी सुरक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में सम्पादित किए जाने हेतु।
6. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
8. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
9. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर।
10. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान, बीकानेर/अजमेर।
11. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा, महाविद्यालय, जोधपुर।
12. प्रधानाचार्य, सादुल स्पोटर्स स्कूल, बीकानेर।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
14. समस्त मण्डल उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को मण्डल परिक्षेत्र में समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
15. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक - प्रथम/द्वितीय को क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने हेतु।
16. वरिष्ठ सम्पादक - शिविरा, प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
17. सहायक निदेशक, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा।
18. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
19. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय का पता : निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,बीकानेर ☎ 0151-2544043
Email : ad.secondary.dse@rajasthan.gov.in

www.rajteachers.com